कार्यालय : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

संख्याः 316 /पी0ओ0/2019–20 दिनांकः रुद्रप्रयागः 18 जून, 2020

1– उप जिलाधिकारी, जखोली।
2– अधिशासी अभियंता, प्रा.ख., लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग।

विषय– लावड़ी–सेमा–लड़ियासू मोटर मार्ग के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2020 को अधि0 अभि0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग, तहसीलदार जखोली, जिला पंचायत सदस्य सुमाड़ी भरदार, क्षे0पं0 सदस्य तुनेटा भरदार, प्रधान ग्राम पंचायत लडियासू/सेमा/डांगी जाखाल/डांगी भरदार एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लावड़ी–सेमा–लड़ियासू मोटर मार्ग निर्माण के संरेखण में हो रहे विवाद/समस्या से संबंधित बैठक आहूत की गई थी। उक्त बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम सेमा के ग्रामीण जिनकी नाप भूमि उक्त मोटरमार्ग के संरेक्षण में कट रही है से शपथ पत्र लिये जाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रधान ग्राम पंचायत सेमा द्वारा अपने पत्र संख्याः–मेमो दिनांक 18.07.2020 के द्वारा पाटुलीधार (तोक सेमा) सुमाड़ी/सेमा–विराणगांव जाखाल मोटरमार्ग हेतु ग्राम सभा सेमा भरदार के समस्त कृषकों (110 कृषक) तथा ग्राम विराणगांव जाखाल के समस्त कृषकों (35 कृषक) का संयुक्त हस्ताक्षरित शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराते हुये संबंधित विभाग को तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त मोटरमार्ग से संबंधित अभियन्ताओं(सहायक अभियंता/अवर अभियंता), तहसीलदार एवं संबंधित क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक के माध्यम संयुक्त रूप से उक्त प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लिखित कृषकों/व्यक्तियों का मौका मुआयना करते हुये सत्यापन करायें कि वास्तव में उक्त व्यक्तियों के खेत उक्त मोटर मार्ग निर्माण के संरेखण में आ रहे हैं अथवा नहीं, के संबंध में अपनी सुस्पष्ट रिपोर्ट 03 दिन अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि तद्नुसार उपरोक्त प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्न–यथोक्त।

(वन्दना सिंह)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner

OC/AO(R)
कृ. पत्रावली के साथ प्रस्तुत करें।

S/PA

DM
5/8/20

DM
31/7/020

प्रेषक,

तहसीलदार,
जखोली।

सेवा में,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

द्वाराः– उप जिलाधिकारी, जखोली।

संख्याः–122 /टी0सी0/विविध–2020–2021 जखोली दिनांक, 25 जुलाई 2020,

विषयः– लावड़ी–सेमा–लड़ियासू मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 316/पी0ओ0/2029–20 दिनांक 18 जुलाई 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लावड़ी–सेमा–लड़ियासू मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जांच हेतु निर्देश दिये गये है, सन्दर्भित प्रकरण की जांच राजस्व उप निरीक्षक तुनेटा व कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0विभाग रूद्रप्रयाग से करायी गयी, राजस्व उप निरीक्षक तुनेटा व कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0विभाग रूद्रप्रयाग ने अपनी जांच आख्या दिनांक 21/7/20 के द्वारा अवगत कराया है, कि प्रधान ग्राम पंचायत सेमा के द्वारा दिनांक 18–07–2020 को पाटुलीधार (तोक सेमा) सुमाड़ी,सेमा, बिराणगांव जाखाल मोटर मार्ग हेतु ग्राम सभा सेमा के समस्त कृषकों (110 कृषक) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया गया गया है।

उक्त के क्रम में आज दिनांक 21–07–2020 को ग्राम पंचायत सेमा भरदार में जाकर उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित लो0नि0विभाग कनिष्ठ अभियन्ता रूद्रप्रयाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। तथा उक्त सभी काश्तकारों के द्वारा शपथ पत्र में उल्लिखित कृषकों/व्यक्तियों का मौके पर सत्यापन किया गया, शपथ पत्र में 110 कृषकों/व्यक्तियों में से ग्राम सेमा में 82 लोग उपस्थित रहे, उनके द्वारा बताया गया है, कि शपथ पत्र में उन्ही के हस्ताक्षर हैं, जिन कृषकों की ग्राम सेमा में निजी भूमि है व मोटर मार्ग हेतु देने को तैयार है, तथा शपथ पत्र में किसी भी कृषक/व्यक्ति की मोटर मार्ग निर्माण मे आपत्ति नही है। मौके पर राजस्व ग्राम सेमा में मोटर मार्ग निर्माण में 80 प्रतिशत भूमि वन विभाग की है। तथा 20 प्रतिशत भूमि ग्राम सेमा के उक्त निजी काश्तकारों की है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति मौके पर दर्ज नहीं करवायी गयी !

अतः जांच सत्यापन सादर सेवा में आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग
को सेवा में तहसीलदार जखोली की
आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित.

25/07/2020
उपजिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी,
जखोली

भवदीय,

तहसीलदार,
जखोली।

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय
तहसील - जखोली, जनपद - रूद्रप्रयाग

महोदय,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के कार्यालय आदेश सं० 316/ रि.O. | 2019-20, दि० रूद्रप्रयाग 18 जुलाई 2020 एवं आपके निर्देशानुसार दि 20-07-2020 के क्रम में लावड़ी सेमा - लडियासू मोटरमार्ग के संबंध में ग्राम पंचायत सेमा द्वारा दि- 18-07-2020 के द्वारा पाटुली धार (तोक सेमा), सुआड़ी | सेमा - बिराणगाँव जाखाल मोटरमार्ग हेतु ग्राम सभा सेमा के समस्त कृषकों (110 कृषक) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित शपथ पत्र | अनापत्तिप्रमाण पत्र श्रीमान को उपलब्ध करवाया गया था,

उक्त आदेश के क्रम में आज दि 21-07-2020 को ग्राम-पंचायत सेमा भरदार में जाकर उक्त मोटरमार्ग से संबंधित लो० नि० वि० के कनिष्ठ अभियंता के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लिखित कृषकों / व्यक्तियों का मौके पर सत्यापन किया गया, शपथ पत्र में 110 कृषकों / व्यक्तियों में से ग्राम सेमा में आज 82 लोग उपस्थित मिले, उनके द्वारा बताया गया कि शपथ पत्र में उन्हीं के हस्ताक्षर हैं तथा जिन कृषकों की ग्राम सेमा में निजी नाप भूमि मोटरमार्ग निर्माण में आ रही है, वह सभी कृषक भूमि देने को तैयार हैं तथा शपथ पत्र में किसी भी कृषक / व्यक्ति की मोटरमार्ग निर्माण में आपत्ति नहीं है मौके पर राजस्व ग्राम सेमा में मोटरमार्ग निर्माण में 80% भूमि वन विभाग की है तथा 20% भूमि ग्राम सेमा के निजी काश्तकारों की भूमि है, इस संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति मौके पर दर्ज नहीं करवायी गयी,

अतः रिपोर्ट सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित,

THR
SDM
23-7-2020

(हस्ताक्षर) 21/07/20
इं० मनोज नेगी
कनिष्ठ अभियन्ता
लो० नि० विभाग
रूद्रप्रयाग

(हस्ताक्षर) 21/7/2020
रा० उ० नि०
तुनेटा

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या–5008/ 24 –01 (2019–20) दिनांक::रूद्रप्रयाग अगस्त, 14 2020

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– लावड़ी–सेमा–लड़ियासू मोटरमार्ग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक दिनांक 15.07.2020 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रधान, ग्राम पंचायत सेमा के द्वारा अपने पत्र संख्या–मेमो/दिनांक 18.07.2020 द्वारा प्रस्तुत ग्राम सभा सेमा भरदार के समस्त कृषकों (110कृषक) तथा ग्राम पंचायत भिराणगांव जाखाल के समस्त कृषकों (35कृषक) का संयुक्त हस्ताक्षरित शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जो इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यालय पत्र संख्या–316/पी0ओ0/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2020 के द्वारा उप जिलाधिकारी, जखोली को उक्त शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्रों का मौका मुआयना कर जांच/सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त पत्र के क्रम में उप जिलाधिकारी जखोली के द्वारा तहसीलदार जखोली के पत्र संख्या–122/टी0सी0/विविध–2020–21 दिनांक 25 जुलाई, 2020 को संस्तुति सहित दिनांक 25.07.2020 को अग्रसारित कर आख्या दीं गयी है कि कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग, एवं राजस्व उप निरीक्षक तुनेटा के साथ दिनांक 21.07.2020 को ग्राम पंचायत सेमा भरदार में जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया, तथा उक्त सभी काश्तकारों के द्वारा शपथ पत्र में उल्लिखित कृषकों/व्यक्तियों का मौके पर सत्यापन किया गया, शपथ पत्र में 110 कृषकों/व्यक्तियों में से ग्राम सेमा में 82 व्यक्ति उपस्थित रहे, उनके द्वारा बताया गया है कि शपथ पत्र में उन्हीं के हस्ताक्षर हैं जिन कृषकों की ग्राम सेमा में निजी भूमि है व मोटरमार्ग के निर्माण में देने हेतु तैयार हैं। मौके पर राजस्व ग्राम सेमा में मोटरमार्ग निर्माण में 80 प्रतिशत भूमि वन विभाग की है तथा 20 प्रतिशत भूमि ग्राम सेमा के उक्त निजी काश्तकारों की है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति मौके पर दर्ज नहीं करवायी गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, जखोली के द्वारा प्रस्तुत जांच/सत्यापन आख्या दिनांक 25.07.2020 व प्रधान, ग्राम पंचायत सेमा के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि उक्त मोटरमार्ग निर्माण के सम्बन्ध में बैठक में दिये गये निर्देशानुसार परीक्षण करते हुये यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करावें।

संलग्न– यथोपरि।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– प्रधान, ग्राम पंचायत सेमा विकास खण्ड जखोली जनपद रूद्रप्रयाग/समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत सेमा।

02– उप जिलाधिकारी, जखोली।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।